

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

43/2020 प्रा.पत्र/2020

16.06.2020

14.08.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गप्पूलाल जैन निवासी गुर्जर मोहल्ला आयुर्वेद औषधालय के पास निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स गप्पूलाल महावीर प्रसाद एण्ड कम्पनी शिवाजी पार्क रोड झिलाई रोड निवाई जिला टोंक। पिनकोड-304021

2-मैसर्स गप्पूलाल महावीर प्रसाद एण्ड कम्पनी शिवाजी पार्क रोड झिलाई रोड निवाई जिला टोंक। पिनकोड-304021

3-श्री श्याम बिहारी अग्रवाल पुत्र श्री सीता बल्लभ अग्रवाल निवासी बी-91, महेश नगर विस्तार-बी, बैंक कॉलोनी, जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स गोविन्द वल्लभ एण्ड कम्पनी वराह जी का चौक, दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार, जयपुर राज.। पिनकोड-302001

4-मैसर्स गोविन्द वल्लभ एण्ड कम्पनी वराह जी का चौक, दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार, जयपुर राज.। पिनकोड-302001

5-श्री रामलखन पुत्र श्री राधेश्याम निवासी वार्ड नं. 4 ब्राह्मण मोहल्ला, खरखोदा, जिला सोनीपत हरियाणा प्रोपरायटर मैसर्स श्री कृष्णा डेयरी मिल्क एण्ड फूड वार्ड नं. 9, बहादुरगढ रोड, खरखोदा जिला सोनीपत हरियाणा। पिनकोड-131402

6-मैसर्स श्री कृष्णा डेयरी मिल्क एण्ड फूड वार्ड नं. 9, बहादुरगढ रोड, खरखोदा जिला सोनीपत हरियाणा। पिनकोड-131402।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5 व 6 श्री तेजमल जैन उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 14/8/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.10.2019 को समय 05:00 पी.एम. पर मैसर्स गप्पूलाल महावीर प्रसाद एण्ड कम्पनी शिवाजी पार्क रोड झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गप्पूलाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स गप्पूलाल महावीर प्रसाद एण्ड कम्पनी शिवाजी पार्क रोड झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गप्पूलाल जैन को समान परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री



A.L.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

55
गण्पूलाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी, कन्फैक्शनरी विस्किट, मसाले, नमकीन आदि व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ कागज के 2 कार्टून में 500-500 एम.एल. पैक के लगभग 72 पैकेट पैकड अवस्था में घी (श्री कृष्णा डेयरी ब्राण्ड) आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गण्पूलाल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गण्पूलाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह घी (श्री कृष्णा डेयरी ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर एसकेडी 0019 एवं पैकिंग की दिनांक सितम्बर 2019 थी, वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, 500-500 एम.एल. पैक के 4 नग मूल पैक हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (श्री कृष्णा डेयरी ब्राण्ड) 500-500 एम.एल. पैक के 4 नग मूल पैक में से ज्यों का त्यों 1-1 पैक के बराबर-बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-2343 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-2343 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गण्पूलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गण्पूलाल महावीर प्रसाद एण्ड कम्पनी शिवाजी पार्क रोड झिलाई रोड निवाई जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स गोविन्द वल्लभ एण्ड कम्पनी वराह जी का चौक, दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार, जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्य करना अवगत कराया एवं मैसर्स गोविन्द वल्लभ एण्ड कम्पनी ने मैसर्स श्री कृष्णा डेयरी मिल्क एण्ड फूड वार्ड नं. 9, बहादुरगढ़ रोड, खरखोदा जिला सोनीपत हरियाणा का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्य करना बताया।




आयान्स अतिरिक्त जिला मिल्क प्रोड्यूसर्स को-ऑपरेटिव सोसायटीज यूनियन टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2397 दिनांक 14.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2429/एक्ट/2019/1976 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार विक्रेता से वारंते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया घी (श्री कृष्णा डेयरी ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से उनके अभिभाषक श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस घी (श्री कृष्णा डेयरी ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी (श्री कृष्णा डेयरी ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ कय किया है अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रुपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



आज दिनांक 14/11/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सीकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
न्याय निरीक्षण अधिकारी एवं
टोंक
टोंक